(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली.बानसूर

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
अपील : 08 / 2023
तारीख रजू : 14.09.2023 निर्णय दिनांक : 13.08.2024

उनवान

1. टोडाराम पुत्र छाजू जाति गुर्जर निवासी माजरा ढाकोडा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.। **– अपीलाण्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. **– रेस्पौडेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ दिनांक 31.08.2020

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री गजानन्द सैनी – वकील अपीलाण्ट।
02. पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। बाद तलवी अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजानन्द सैनी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 31.08.2020 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने से दण्डित करने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत ने तारीख 31.08.2020 को फैसला अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में बाला बाला गलत तरीक पर पारित किया है, जिसका इल्म अपीलाण्ट को तारीख 06.11.2020 को नकल फैसला प्राप्त होने पर हुआ। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 06.11.2020 से पहले अपील फैसला की जानकारी नही थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अरसे दराज 70–80 सालो से लगातार कब्जा चला आ रहा है व अपीलाण्ट ने आराजी मुतनाजा में काश्तकारी रखने व मवेशियान रखने व रिहायश के लिए मकानात बना रखे है। यह है कि तहसीलदार बानसूर ने मिन अपीलाण्ट के खिलाफ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया व खसरा नम्बर 101 क्षेत्रफल 02 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण मानकर दिनांक 25.01.1971 को पारित आदेश में अपीलाण्ट को उक्त आराजी से निष्क्रान्त करने तथा पैनेल्टी वसूल करने की आज्ञा दी। अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उक्त आराजी में वर्ष 1971 में अपीलाण्ट के पिताजी के विरूद्ध तहसीलदार बानसूर द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही करने पर अति0 जिला कलक्टर अलवर के यहां अपील की जिसकी निर्णय दिनांक 24.01.1972 में 05 बिस्वा भूमि में आबादी मानकर तहसीलदार बानसूर को आबादी भूमि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रो के अनुसार जांच कर व अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अन्त में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट का मकान के रूप में अतिक्रमण राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र 24.04.1963 एवं 10.12.1964 के अनुसार काबिले नियमन होने से अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी

सत्यमेव जयते
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनाक 31.08.2020 मंसुख फरमाया जावे व (पैनल्टी) का हुक्म स्थगित फरमाया जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2077 ग्राम माजरा ढाकोडा के आराजी ख० नं0 130 रकबा 0.39 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमी द्वारा बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर विधिवत कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी निजी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि हाल आराजी ख० नं0 130 रकबा 0.39 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम माजरा ढाकोडा से भौतिक रूप से बेदखल करन तथा मौके पर फसल जब्त कर निलामी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का वार्षिक लगान का पचास गुणा राशि के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाण्ट द्वारा हाल आराजी ख० नं0 130 रकबा 0.39 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम माजरा ढाकोडा पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 31.08.2020 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली.बानसूर

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़